

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 4(24)ग्रावि/नरेगा/ईएफएमएस/2011-12

जयपुर, दिनांक : 9 DEC 2013

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा,
समस्त राजस्थान।

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों की मजदूरी
तथा सामग्री का भुगतान ई-एफएमएस के माध्यम से किए जाने बाबत।

संदर्भ:- विभागीय पत्रांक एफ21(44)ग्रावि/नरेगा/2010 पार्ट-II दिनांक 25.11.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) की निरन्तरता में यह निर्देश जारी किये जाते
है कि योजनान्तर्गत नियोजित अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान तथा
लाईन विभाग द्वारा सम्पादित कराए जा रहे कार्यों के सामग्री भुगतान दिनांक 15.12.2013 के
बाद केवल ई-एफएमएस के माध्यम से ही किये जावे।

भवदीय

(कुलदीप रांका)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/जोधपुर/बाडमेर।
3. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा)



क्रमांक. एफ 21(44)ग्रावि/नरेगा/2010/पार्ट-11

जयपुर, दिनांक : 25/11/2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय: अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों की मजदूरी एवं सामग्री का ईएफएमएस के माध्यम से भुगतान प्रारम्भ कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत समस्त प्रकार के श्रम, सामग्री एवं प्रशासनिक व्ययों का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र ईएफएमएस के माध्यम से प्रारम्भ किया जाना है। राष्ट्रीयकृत बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको एवं डाक विभाग में संधारित शत प्रतिशत अकुशल श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान स्टेट ईएफएमएस खाते से प्रारम्भ किया जा चुका है। सहकारी बैंको में संधारित अकुशल श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान स्टेट ईएफएमएस खाते से प्रारम्भ किया जाना प्रक्रियाधीन है।

अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों को भी ईएफएमएस के माध्यम से भुगतान चूरु जिले के सुजानगढ़ ब्लॉक में तीन एफटीओ सफलतापूर्वक जारी करके पायलेट आधार पर प्रारम्भ किया जा चुका है। अतः आपके जिले में भी अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों को स्टेट ईएफएमएस खाते के माध्यम से भुगतान प्रारम्भ कराने की कार्यवाही प्रारम्भ करावें।

राज्य में नरेगा योजनान्तर्गत किये जा रहे कार्यों के संबंध में सामग्री मद का भुगतान वर्तमान में ग्राम पंचायत एवं लाईन विभाग के स्तर से किया जा रहा है। लाईन विभाग के स्तर से किये जाने वाले सामग्री भुगतान को स्टेट ईएफएमएस खाते के माध्यम से शीघ्र प्रारम्भ किया जाना है जिसके लिए यह निर्णय लिया जाता है कि भविष्य में ब्लॉक द्वारा लाईन विभाग को सामग्री पेटे कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई जावेगी। लाईन विभाग द्वारा सामग्री से संबंधित बिलों को प्रमाणित कराकर ब्लॉक को प्रेषित किया जावेगा एवं ब्लॉक द्वारा स्टेट ईएफएमएस खाते के माध्यम से इनका भुगतान किया जावेगा। जिले की ग्राम पंचायतों को भी सामग्री भुगतान ईएफएमएस के माध्यम से किये जाने हेतु प्रेरित करें तथा प्रारम्भ में प्रायोगिक रूप से इस हेतु ग्राम पंचायतों की सहमति से चयन ब्लॉक स्तर पर किया जावे। चयनित ग्राम पंचायतों का सामग्री भुगतान ब्लॉक स्तर से ईएफएमएस के माध्यम से किया जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर मुख्यालय को सूचित कराने का श्रम करावें।

भवदीय,


(कुलदीप रांका)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
2. परियोजना अधिकारी (लेखा) ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।



वित्तीय सलाहकार, ईजीएस